

प्ररूप-2

[नियम 13(3) देखिए]

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के आक्षेप के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

..... पंचायत समिति।

महोदय,

मैं पंचायत वृत्त.....के वार्ड संख्या.....की निर्वाचक नामावली में उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ।

1. उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है:	नाम	माता/पिता/पति का नाम
	वार्ड सं.	मतदाता सूची का क्रम संख्यांक
2. आक्षेपकर्ता का ब्यौरा	नाम	माता/पिता/पति का नाम
लिंग* (स्त्री/पुरुष/अन्य)	वार्ड सं.	मतदाता सूची का क्रम संख्यांक
सामान्य निवास स्थान की विशिष्टियां		
मकान/द्वार संख्यांक :		
मार्ग/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क :		
नगर/ग्राम :		
डाकघर :	पिन कोड	
तहसील :	पंचायत समिति :	मोबाईल सं. (यदि कोई हो) :
जिला :	ई-मेल (यदि कोई हो) :	
3. आक्षेप (आक्षेपों) के लिए कारण :		

* यदि किन्नर/लिंग परिवर्तन कराने वाले अपना लिंग पुरुष या महिला के रूप में उल्लिखित नहीं करना चाहते हैं तो वे अपना लिंग 'अन्य' लिखें।

4. घोषणा :-

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी

टिप्पणी: कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18-क के अधीन दण्डनीय है।

आवेदन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे

क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की अभ्युक्तियाँ (जैसे अन्वेषक अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षक अधिकारी)

निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाये

श्री/श्रीमती/कुमारी.....के नाम को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के प्रति आक्षेप के संबंध में प्ररूप-2 में श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत* कर लिया गया है/अस्वीकृत* कर दिया गया है।

स्वीकृत* या अस्वीकृत* करने के विस्तृत कारण (नियम 14 के उप-नियम (3) के अधीन).....

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

की गई कार्रवाई की सूचना

(पृष्ठ का अनुभाग-2 निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाये और आवेदक द्वारा अनुभाग-1 में दिये गये पते पर डाक द्वारा आवेदक को भेजा जाये)

पहला मोड

अनुभाग-1

आवेदक का नाम और डाक का पता :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकिट चिपकाया जाये।

दूसरा मोड

अनुभाग-2

श्री/श्रीमती/कुमारी.....से मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के आक्षेप का प्ररूप-2 में प्राप्त आवेदन :-

(क) स्वीकृत कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारी का नाम पंचायत वृत्त.....की वार्ड संख्या.....की मतदाता सूची में से हटा दिया गया है।

(ख)के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है।

स्थान

दिनांक

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(पता).....

आवेदक द्वारा भरा जाये

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पता.....

का प्ररूप-2 में आवेदन प्राप्त हुआ।

दिनांक.....

* अनुपयुक्त अनुकल्प को काट दें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(पता).....